# C0VID-19 महामारी में CBR/CBID कार्यकर्ताओं के लिए मार्गदर्शन
**(इसमें वेतनभोगी और स्वयंसेवी कार्यकर्ता शामिल हैं)**

**COVID-19 महामारी में CBR/CBID कार्यकर्ताओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है।** उनके कार्यकलाप विकलांगों (दिव्यांगों), दिव्यांग सदस्यों वाले परिवार और समुदाय में बुजुर्ग या बेघर जैसे नि:सहाय सदस्यों की सुरक्षा और सहायता करने में मदद कर सकते हैं। ऐसा करते हुए वे पूरे समुदाय की सुरक्षा करेंगे।

1. CBR/CBID कार्यकर्ताओं को केवल भोजन, पानी या दवा पहुंचाने जैसे आवश्यक कार्यों के लिए ही समुदायों के पास जाना चाहिए। जब इन कार्यों के लिए जाएं तो शारीरिक दूरी बनाए रखें। **CBR/CBID कार्यकर्ताओं को परिवारों और समुदाय से टेलीफोन (टैक्स्ट या व्हाट्स ऐप) संपर्क करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि उन्हें नियमित आधार पर** सूचित किया जा सके, उनकी जरूरतों के बारे में जानकारी इकट्ठा की जा सके और उन तरीकों पर चर्चा की जा सके जिनसे इन जरूरतों को पूरा किया जा सके।
2. CBR/CBID कार्यक्रम द्वारा तैयार और रिले किए गए प्रमुख संदेश स्थानीय संदर्भ और नियमों पर आधारित होने चाहिए और निम्नलिखित मुद्दों पर भी ध्यान देना चाहिए जो व्यक्ति-केंद्रित आपातकालीन तैयारी साधन (PCEP) पर आधारित हैं
   a. COVID-19 के संबंध में अपने स्थानीय खतरे/जोखिम को जानें।
   b. समुदाय के सदस्यों के साथ मिलकर योजना बनाएं कि क्या किया जाना है और दिव्यांगों और अन्य कमजोर सदस्यों को शामिल करने के लिए कौन जिम्मेदार होगा।
   c. अपने समुदाय को प्रेरित और तैयार रखें।
   d. स्थिति में परिवर्तन के बारे में जागरूक रहें और यदि आवश्यक हो तो अपनी योजना में बदलाव करें।
   e. आजीविका गतिविधियों में दिव्यांगों/परिवार के सदस्यों को शामिल करवाने का प्रयास करें।
   f. एक दूसरे का ध्यान रखें।

*क्रिस्टीन और कॉर्निक एवं ज़ांबियन CBR/CBID टीम, अब्दुल बुसुलवा CAN (युगांडा) प्रोफेसर ग्वेनेथ लेलेवेलिन (ऑस्ट्रेलिया) एलानी मार्क्स (जेनेवा, WHO) के सहयोग से प्रोफेसर सैली हार्टले (यूके) और वेंकटेश बालकृष्णा (भारत) द्वारा तैयार - भारतीय संदर्भ के लिए अनुकूलित*

**जिन समुदायों के लिए कार्यकर्ता जिम्मेदार हैं उनसे संपर्क करने के लिए ये छह बिंदु उनके साथ जारी टेलीफोन/टैक्स्ट/ईमेल संपर्क का आधार बन सकते हैं।**

3. **अपने स्थानीय खतरे/जोखिम को जानें।**
   **सामुदायिक कार्यकर्ताओं को यथासंभव स्थानीय स्थिति के साथ खुद को परिचित करना होगा।** CBR/CBID कार्यकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे अपनी सरकार द्वारा निर्धारित सभी नियमों और प्रथाओं से परिचित हों और अपनी स्थानीय संरचनाओं के साथ मिलकर काम करने के लिए सहयोग करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दिव्यांगों की जरूरतों को हमेशा योजना बनाने और बाद की कार्रवाई में शामिल किया जाए।
4. **क्या किया जाना है और कौन जिम्मेदार है, इस पर समुदाय के सदस्यों के साथ मिलकर योजना बनाएं**
   जहां संभव हो सामुदायिक सेवा जानने वाले परिवारों और व्यक्तियों को टेलीफोन करें और उनके साथ मिलकर योजना बनाएं। यह सुनिश्चित करें कि जिन स्थानीय रणनीतियों को लागू किया जा रहा है उनमें दिव्यांगों की ज़रूरतों का ध्यान रखा जाए। ये रणनीतियाँ अलग-अलग परिस्थितियों के अनुसार अलग-अलग होंगी लेकिन उदाहरण के लिए इसमें शामिल हो सकती हैं:

   a. यह सुनिश्चित करना कि COVID-19 से पीड़ित लोगों को उनके समुदाय लांछित नहीं करें।
   b. सभी दिव्यांगों और उनके परिवारों के साथ मिलकर काम करना ताकि जरूरत पड़ने पर स्वास्थ्य (मानसिक स्वास्थ्य सहित)/पुनर्वास सेवाएं, और दवाएं/रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।
   c. यह सुनिश्चित करना कि दिव्यांगों/परिवारों को मौजूदा सहायता सेवाएं (जैसे भरण-पोषण भत्ता/पेंशन) और महामारी से निपटने के लिए प्रदान की जा रही अन्य कोई सेवा प्राप्त होती रहे।
   d. गांव या समुदाय के दिव्यांग और नि:सहाय सदस्यों को उनकी सुरक्षा में लगे अन्य सदस्यों से अलग रखना, भोजन की आपूर्ति/सुनिश्चित करना कि सरकार

द्वारा निर्धारित खाद्यान्न की आपूर्ति उन तक पहुँचे या उनके लिए खरीदारी करना। यह करते हुए उन दिशानिर्देशों का पालन करना जिनसे वे COVID-19 संक्रमण से मुक्त रहें।

e. गांव या समुदाय के दिव्यांग और नि:सहाय सदस्यों को उनकी सुरक्षा में लगे अन्य सदस्यों से अलग रखना, भोजन की आपूर्ति करना या उनके लिए खरीदारी करना। यह करते हुए उन दिशानिर्देशों का पालन करना जिनसे वे COVID-19 संक्रमण से मुक्त रहें।
f. संक्रमित लोगों या उनके परिवार से भेदभाव या लांछित किए बिना वायरस से संक्रमित लोगों को अलग करना और समुदाय के अन्य सदस्यों से दूर एक जगह पर उनकी देखभाल करना।
g. नियमित रूप से, अच्छी तरह से हाथ धोने के लिए साफ पानी और साबुन प्रदान करना
h. सुलभ स्थानों पर साफ पानी और साबुन रखना।
i. मास्क बनाना और बाहर तथा भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जाते समय पहनना, और जरूरी होने पर ही बाहर जाना।
j. शारीरिक दूरी बनाए रखने (वर्तमान में 2 मीटर दूर रहना) और हाथ धोने के बारे में स्पष्ट संदेश भेजना।
k. COVID-19 के लक्षण हों तो स्थानीय नीतियों के अनुरूप स्वास्थ्य सुविधा से संपर्क करना।

**5. अपने समुदाय को प्रेरित और तैयार करना**

समुदाय उन कार्यकलापों पर निर्णय लेगा जो वे चाहते हैं और जिन्हें लेने में सक्षम हैं और कौन उत्तरदायी होगा। सामुदायिक कार्यकर्ता सभी शामिल लोगों को प्रोत्साहित कर सकता है और उपलब्ध नवीनतम जानकारी के आधार पर यथार्थवादी निर्णय लेने के लिए समूह का मार्गदर्शन कर सकता है।

6. **स्थिति में परिवर्तन के बारे में जागरूक रहें और यदि आवश्यक हो तो अपनी योजना में बदलाव करें।** समुदाय कार्यकर्ता समुदाय के साथ नियमित संपर्क में रहेगा कि समुदाय स्तर और व्यक्तियों और उनके परिवारों के लिए स्थिति कैसे बदल रही है

और जो घट रहा है (जैसे संक्रमित की संख्या या नए स्थानीय दिशानिर्देश) उस पर उन्हें जानकारी देगा। इसके साथ ही उन्हें स्थानीय दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए इन परिवर्तनों के लिए तैयार रहने के लिए सर्वोत्तम तरीके खोजने होंगे।

7. **आजीविका गतिविधियों में शामिल करवाना:** सुनिश्चित करें कि अधिकारियों द्वारा अनुमति दी जाने वाली आजीविका गतिविधियों (जैसे कृषि, एमजीनरेगा) में दिव्यांग व्यक्ति/परिवार भाग लें और सरकार/अन्य द्वारा सहायता प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का लाभ उठाएं।
8. **एक दूसरे का ध्यान रखें।** अन्य सहयोगियों का ध्यान रखें, अन्य दिव्यांगों का ध्यान रखें, बुजुर्गों का ध्यान रखें, और समुदाय के नेताओं का ध्यान रखें। साथ में काम करके और साझा करके ही इस महामारी और इससे संबंधित भय को कम किया जा सकता है और समय पर सहायता प्रदान की जा सकती है।
9. **जानकारी साझा करें।** समुदाय के कार्यकर्ताओं के लिए लोगों, स्थानों, बीमारियों, सफलताओं और चुनौतियों को स्थानीय रूप से अनुकूल प्रारूप में अच्छा रिकॉर्ड रखना महत्वपूर्ण है,ताकि यह सूचना CBR प्रबंधकों, समन्वयकों और सरकारी प्राधिकारियों को जल्दी और सही रूप भेजी जा सके।
10. CBR/CBID कार्यकर्ताओं को सुरक्षा और रोकथाम के लिए सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों का पालन करना चाहिए।

इन कार्यों के लिए और अधिक विवरण यहां देखे जा सकते हैं:

https://www.who.int/publications-detail/disabilityconsiderations-during- the-covid-19-outbreak

*क्रिस्टीन और कॉर्निक एवं ज़ांबियन CBR/CBID टीम, अब्दुल बुसुलवा CAN (युगांडा) प्रोफेसर ग्वेनेथ लेलेवेलिन (ऑस्ट्रेलिया) एलानी मार्क्स (जेनेवा, WHO) के सहयोग से प्रोफेसर सैली हार्टले (यूके) और वेंकटेश बालकृष्णा (भारत) द्वारा तैयार - भारतीय संदर्भ के लिए अनुकूलित*